न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/26/2025	2025/87	06.11.2024	23.12.2025

1.नगरपालिका लक्ष्मणगढ, जिला अलवर जरिये समयसिंह मीना हाल अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका लक्ष्मणगढ जिला अलवर।

——अपीलाण्ट

बनाम

1.तहसीलदार लक्ष्मणगढ जिला अलवर।
2.आशा शर्मा पत्नी हितेश शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी कठूकर रोड खेडली गंज, तहसील कठूमर जिला अलवर।
3.दिव्या पारासर पत्नी जितेन्द्र कुमार जाति ब्राह्मण निवासी लक्ष्मणगढ तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर।
4.सुनीता देवी पत्नी ओमप्रकाश जाति कंजर निवासी आदर्श नगर पंचगांव तहसील व जिला धौलपुर।

——रैस्पाडैन्ट्स

अपील निर्णय विरूद्ध नामांतकरण संख्या 828 दिनांक 21.03.2024 जिसके तहत कि तहसीलदार द्वारा रेस्पो 02 लगायत 4 द्वारा किये गये समर्पण के आधार पर जाली पत्र क्रमांक 5852 दिनांक 15.03.2024 के तहत आराजी खसरा न0 3, 4, 55 वाके ग्राम खेडलीलोधा तहसील लक्ष्मणगढ के नाम आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु नामान्तरण दर्ज किया गया है जिस आदेश को निरस्त फरमाया जाकर उक्त नामान्तकरण खारिज फरमाया जाने के आदेश प्रदान किया जावे।

उपस्थितः—

01. श्री हरिओम —वकील अपीलाण्ट
02. श्री अनिल गुप्ता —वकील रेस्पोडेन्ट्स 02 व 03
03. श्री दीपक मीना (राजकीय अभिभाषक) —वकील रेस्पोडेन्ट 01

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार लक्ष्मणगढ के आदेश दिनांक 21.03.2024 नामांतकरण संख्या 828 से व्यथित होकर पेश की है। जिसके तथ्य निम्न प्रकार से है कि नगर पालिका लक्ष्मणगढ़ को जैसे ही फर्जी व जाली पत्र क्रमांक 5852 दिनांक 15.03.2024 के तहत खसरा नम्बर 3,4,55 वाके ग्राम खेडलीलोघा को आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु जो तहसीलदार लक्ष्मणगढ व पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण संख्या 828 दिनांक 21.03.2024 को नगर पालिका लक्ष्मणगढ के नाम दर्ज करा लिया गया जो नगर पालिका लक्ष्मणगढ के संज्ञान में आने पर नगर पालिका द्वारा जाली पत्र क्रमांक 5852 दिनांक 15.03.2024 के द्वारा नामान्तकरण की कार्यवाही को रद्द कराने हेतु तहसीलदार लक्ष्मणगढ को एक पत्र कमांक न.पाल-/2024/445 दिनांक 15.07.2024 को तहसीलदार लक्ष्मणगढ नगर पालिका लक्ष्मणगढ द्वारा इस आशय का भेजा गया कि ग्राम खेडलीलोधा में खसरा नम्बर 3,4,55 की कोई सोमोटो कनवर्ट आवासीय पत्र जारी नही जारी नही किया गया है तदुपरांत तहसीलदार लक्ष्मणगढ द्वारा भेजे गये पत्र पर कोई तत्पर्ता ना दिखाते हुये कोई कार्यवाही नही की इसके उपरांत पुनः उक्त जाली पत्र के सम्बन्ध में दिनांक 23.09.2024 को पत्रक्रमांक 641/24 नगर पालिका कार्यालय द्वारा पुनः भेजा गया कि आपके द्वारा

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

जाली पत्र 5852 दिनांक 15.03.2024 का बिना किसी सक्षम अधिकारी एवं बिना पटवारी हल्का की रिर्पोट व बिना पटवारी हल्का द्वारा जांच किये जांली पत्र के आधार पर इंतकाल संख्या 828 दिनांक 21.03.2024 के आधार पर आवासीय समपर्ण का इंतकाल नगर पालिका लक्ष्मणगढ़ के नाम दर्ज कर दिया गया जिस पर आपके द्वारा व आपके अधिनस्थ हल्का पटवारी ग्राम खेडलीलोधा द्वारा बिना जांच किये आनन–फानन में 5–7 दिन के अन्दर ही सम्पर्णनामा को दर्ज कर दिया परन्तु नगर पालिका द्वारा भेजे गये पत्र पर किसी प्रकार की कोई निरस्तीकरण की कार्यवाही न करते हुये तहसीलदार लक्ष्मणगढ द्वारा पत्र कमांक भू./अ./2024/6307 दिनांक 26.09. 2024 को एक पत्र भेज कर उक्त निरस्तीकरण के सम्बन्ध में बिना कोई कार्यवाही किये तहसीलदार लक्ष्मणगढ द्वारा इस लेख के साथ वापिस भेजा कि नामान्तकरण निरस्त की कार्यवाही के लिए आपके कार्यालय स्थर पर नामान्तकरण निरस्ती की कार्यवाही करे और नामान्तकरण का निरस्त किया जाना तहसील कार्यालय के स्तर से अपेक्षित नही है, के साथ नामान्तकरण निरस्त नही किया जा सकता जबकि तहसीलदार लक्ष्मणगढ द्वारा नामान्तकरण की कार्यवाही के बारे में नगरपालिका लक्ष्मणगढ द्वारा दो बार नामान्तकरण की कार्यवाही हेतु लिखा गया कि नगरपालिका लक्ष्मणगढ कार्यालय से ग्राम खेडलीलोधा की आराजी खसरा नम्बर 3,4,55 के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई पत्र जारी नही किया गया है, इस पर तहसीलदार लक्ष्मणगढ एवं हल्का पटवारी खेडली लोधा पर उक्त पत्र पर किसी प्रकार की कोई तत्पर्ता नही दिखाई गई और ना ही किसी प्रकार की कोई कार्यवाही की और ना ही निरस्तीकरण तहसीलदार लक्ष्मणगढ द्वारा किया गया। जबकि तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ व हल्का पटवारी को नगर पालिका लक्ष्मणगढ द्वारा समय समय पर जारी पत्र व अधिशाषी अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के हस्ताक्षरो का मिलान आवश्यक रूप से करना चाहिऐ था परन्तु तहसीलदार लक्ष्मणगढ द्वारा उक्त खसरा नम्बरान के बारे में जारी फर्जी जाली पत्र के आधार पर नामान्तकरण दर्ज किया गया है वह बिना किसी उचित कारण का उल्लेख किये व बिना जांच पडताल किये ही किया गया है जिसमें तहसीलदार व हल्का पटवारी की बदयान्ति साफ जाहिर होती है इसलिए तहसीलदार के नामान्तकरण आदेश दिनांक 21.03.2024 को निरस्त फरमाया जावे। अपीलान्ट नगर पालिका लक्ष्मणगढ द्वारा उपरोक्त खसरा नम्बरान को आवासिय प्रयोजनार्थ हेतु कनवर्ट करने के लिए ना तो कोई पत्र जारी किया ना अधिशाषी अधिकारी तत्कालीन के हस्ताक्षर है ना ही कार्यालय के इन्द्राज रजिस्टडर में पत्र का अंकन है इसलिए उक्त इंतकाल जो तहसीलदार द्वारा किया गया है वो बिना जांच पडताल जाली पत्र के आधार पर किया है जो काबिलय निरस्तनीय है। तहसीलदार लक्ष्मणगढ के नामान्तकरण आदेश की जानकारी जब हुई कि रेस्पो० 2 ला० 4 द्वारा उक्त खसरा नम्बरान में बिना मंजूरी के ही आवासीय प्लॉटिंक करने का प्रयास करने बाबत दिनांक 24.07.2024 को जानकारी होने पर अपीलान्ट नगरपालिका लक्ष्मणगढ के कर्मचारी/अधिकारी मौके पर गये तो रेस्पो० के द्वारा बताया गया कि हमने उक्त नम्बरान को आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु कनवर्ट करवा लिया है जिस पर नगरपालिका अधिशाषी अधिकारी समयसिंह मीना द्वारा जांच कार्यवाही की गई तो पाया की नगर पालिका लक्ष्मणगढ़ के नाम से इन्होने फर्ज़ी जाली पत्र तैयार कर उस फर्जी पत्र के आधार पर तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ से इंतकाल दर्ज करवा लिया जिस की बाबत दो बार नगर पालिका अधिशाषी अधिकारी लक्ष्मणगढ, नगरपालिका लक्ष्मणगढ़ के नाम खसरा नम्बर 3,4 व 55 की बाबत जो नामान्तकरण दर्ज किया गया है को निरस्त किया जावे जिस पर तहसीलदार द्वारा कोई कार्यवाही नही करते हुये दिनांक 26.09. 2024 को एक पत्र जारी करते हुये कहा कि नामान्तकरण निरस्त की कार्यवाही के लिए आपके कार्यालय स्तर पर सक्षम न्यायालय में अपील दायर कर नामान्तकरण निरस्त करवाने की कार्यवाही करे। जिसके बाद नकल वगैरा इक्कठी कर कानून सलाह लेकर यह अपील बिना देरी पेश की जा रही है, हुई देरी बाबत अलग से दफा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश है। तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ के नामान्तकरण आदेश के विरूद्ध श्रीमान न्यायालय को अपील सुनने का अधिकार हांसिल है अतः अपील श्रीमान के श्रवण योग्य क्षेत्राधिकार में है। अपील हाजा पर न्यायालय शुल्क व तलबाना फीस नियमानुसार चस्पा है। तहसीलदार लक्ष्मणगढ के नामान्तकरण आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर अपील हाजा के साथ पेश है। अन्य वजूहात वक्त बहस जुबानी अर्ज किये जावेगें।

अतः अपील अपीलान्ट पेश कर श्रीमान से निवेदन है कि अपील अपीलान्ट मंजूर फरमाई जाकर तहसीलदार लक्ष्मणगढ के इंतकाल संख्या 828 वाके ग्राम खेडलीलोधा, आदेश दिनांक 21.03.2024 को निरस्त फरमाये जाने की कृपा करे। अति कृपा होगी। अपील दर्ज

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 01 जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित। रेस्पो0 संख्या 02 व 03 जरिये अभिभाषक उपस्थित।

रेस्पोडेन्ट संख्या 02 और 03 की ओर से जवाब पेश किया गया जो निम्न प्रकार है कि अपील का चरण से 1 जिस प्रकार बयान किया गया है वो गलत है स्वीकार नहीं। जबकि आराजी खसरा नम्बर 3 व 4 वाके ग्राम खेडली लोघा तहसील लक्ष्मनगढ़ जिला अलवर के समम्ध में सोमोटो आवासीय प्रयोजनार्थ आदेश नगरपालिका लक्ष्मनगढ़ के द्वारा तहसीलदार लक्ष्मनगढ़ के पास भेजा गया था। जिस आधार पर ही इंतकाल सं0 21.03.2024 स्वीकार किया गया था। अपील का चरण सं.02 जिस प्रकार बयान किया गया है वो गलत है। अपीलांट का यह कहना गलत है कि नगरपालिका लक्ष्मनगढ द्वारा उपरोक्त खसरा नम्बर 3 और 4 का आवासीय प्रयोजनार्थ हेतू सोमोटो आदेश कन्वर्ट करने के लिए कोई पत्र जारी नही किया हों और उस पर उनके हस्ताक्षर नही हो। सब तथ्य मगनढन्त एव झुंठे दर्ज किये गये है। जब कि अधिशाषी अधिकारी के द्वारा स्वय के हस्ताक्षर कर आदेश जारी किये गये है। अपील का चरण स 3 जिस प्रकार बयान किया गया है वो गलत है स्वीकार नहीं। यह तथ्य गलत है कि रेस्पोडंट सं. 2 व 3 के द्वारा फर्जी जाली पत्र तैयार कर तहसीलदार लक्ष्मनगढ से इंतकाल करवाया गया हैं आराजी खसरा नम्बर 3 व 4 वाके ग्राम खेडली लोघा तहसील लक्ष्मनगढ जिला अलवर के समम्ध मे सोमोटो आवासीय प्रयोजनार्थ आदेश नगरपालिका लक्ष्मनगढ के द्वारा तहसीलदार लक्ष्मनगढ के पास भेजा गया था। और तहसीलदार लक्ष्मनगढ अलवर के द्वारा और उसी आदेश के आधार पर इंतकाल स्वीकृत किया गया है। जो सही दर्ज किया गया है। चरण सं. 4 जो कि बाबत क्षेत्राधिकार है जो काबिल गौर श्रीमान है। चरण सें 5 बाबत कोर्टफीस है जो कि काबिल गौर श्रीमान है। चरण सं 6 जिस प्रकार बयान किया गया वो सही एव स्वीकार है। चरण सं 7 काबिल गौर श्रीमान है। अत जवाब पेश कर निवेदन है कि असल रेस्पोडेंट सं० 2 व 3 से सम्बधित आराजी खसरा नम्बर 3 और 4 की हद तक अपील को स्वीकृत किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। अपील में तथ्य निहित होने से एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

वकील उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट (नगर पालिका लक्ष्मणगढ़) द्वारा अपील तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ के आदेश दिनांक 21.03.2024 (नामान्तकरण संख्या 828) से व्यथित होकर पेश की गई है। अपीलान्ट का मुख्य तर्क है कि खसरा नंबर 3,4,55 (ग्राम खेड़लीलोधा) को आवासीय प्रयोजनार्थ रूपांतरित करने हेतु नगर पालिका द्वारा कोई पत्र जारी नहीं किया गया था। विपक्षीगण ने कथित रूप से एक फर्जी और जाली पत्र (क्रमांक 5852 दिनांक 15.03.2024) तैयार कर तहसीलदार कार्यालय में पेश किया, जिसके आधार पर बिना उचित जांच के नगर पालिका के पक्ष में नामान्तकरण दर्ज कर दिया गया।

अपीलान्ट के तर्क हैं कि नगर पालिका के रिकॉर्ड/डिस्पैच रजिस्टर में उक्त पत्र का कोई अंकन नहीं है और न ही तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी के उस पर हस्ताक्षर हैं। तहसीलदार को पत्र लिखकर अवगत कराने के बावजूद उन्होंने नामान्तकरण निरस्त नहीं किया, बल्कि सिविल न्यायालय या अपील में जाने की सलाह दी। राजस्व रिकॉर्ड में फर्जी दस्तावेज के आधार पर किया गया इन्द्राज विधि विरुद्ध है और निरस्त किए जाने योग्य है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 02 व 03 का द्वारा विपक्षीगण ने अपने जवाब में फर्जीवाड़े के आरोपों से इनकार किया है। हालांकि, जवाब के अंत में उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि यदि खसरा नंबर 3 और 4 की हद तक अपील स्वीकार की जाती है, तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं है।

अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

पत्रावली का अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का चिन्तन–मनन किया गया। दस्तावेजों की सत्यता में नगर पालिका लक्ष्मणगढ़ ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उनके कार्यालय से खसरा नंबर 3,4 व 55 के आवासीय रूपांतरण हेतु कोई पत्र जारी नहीं हुआ है। जब जारी करने वाली संस्था स्वयं इसे फर्जी बता रही है, तो ऐसे पत्र के आधार पर किया गया नामान्तकरण कानूनी रूप से शून्य है। प्रक्रियात्मक त्रुटि में तहसीलदार एवं हल्का पटवारी द्वारा इतने संवेदनशील मामले में बिना हस्ताक्षरों के मिलान और बिना गहन जांच के मात्र 5–7 दिनों में नामान्तकरण दर्ज करना प्रथम दृष्टया लापरवाही को दर्शाता है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 ने खसरा संख्या 3 व 4 की हद तक अपील स्वीकार करने पर अपनी सहमति व्यक्त की है। अतः न्यायोचित आधारों पर अपीलान्ट की अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। तहसीलदार लक्ष्मणगढ द्वारा पारित नामांतकरण संख्या 828 दिनांक 21.03.2024 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि वे रिकॉर्ड में आवश्यक सुधार करें (राजस्व रिकॉर्ड में उक्त खसरा नंबरान 3, 4 व 55 की स्थिति पूर्ववत बहाल की जावे।) और यदि भविष्य में कोई नया आवेदन प्राप्त होता है, तो नियमानुसार पूर्ण जांच के बाद ही आगामी कार्यवाही करें। उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ को आदेश दिये जाते हैं कि नामांतकरण संख्या 828 दिनांक 21.03.2024 के दर्ज/स्वीकार होने की सम्पूर्ण कार्यवाही में हुई अनियमितताओं की जांच करें, यदि जांच में कोई दोषी पाया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

न्या० अति० जि० कलै० एवं अति० जि० मजि० प्रशासन (द्वितीय) अलवर
राजस्थान
सरकार